भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्या 2419

4 अगस्तश्2015 के लिए प्रश्नर

एनएफएसए का कार्यान्वयन

2419. श्री एम. मुरली मोहन:
श्री राजेश कुमार दिवाकर:
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री राम चरित्र निषाद:
श्री विद्युत वरण महतो:
श्री नन्दी एल्लैया:
श्री दुष्यंत चौटाला:
श्रीमती रंजनबेन भट्ट:
श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद खाद्यान्नों की आवश्यकता में काफी वृद्घि होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इस प्रयोजन हेतु वार्षिक रूप से आवश्यक खाद्यान्नों और निधियों सहित सम्मिलित की जाने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है;

(ख) खाद्य अर्थव्यवस्था पर एनएफएसए के कार्यान्वयन का संभावित प्रभाव क्या होगा;

(ग) क्या सरकार को देश के सबसे गरीब जिलों/खण्डों के एक चौथाई हेतु सबके लिए खाद्य उपलब्ध कराने के लिए कोई सुझाव/सिफारिश प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) एनएफएसए के कार्यानव्यन के संबंध में शांता कुमार समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

..........2/-

(क) और (ख): राष्ट्री□य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के कार्यान्व यन के लिए खाद्यान्नोंद की वार्षिक आवश्य.कता 614.4 लाख टन अनुमानित है जो पूर्ववर्ती लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और खाद्यान्न पर आधारित अन्यि कल्या.णकारी स्कीनमों की वार्षिक आवश्यतकता से लगभग 50 लाख टन अधिक है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान गेहूं और चावल की औसत वार्षिक खरीद 618.6 लाख टन थी। खाद्यान्नों के वर्तमान उत्पानदन और खरीद स्तनर को देखते हुए एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नोंि की आवश्य कता घरेलू तौर पर पूरी होने की संभावना है और खाद्य अर्थव्येवस्थाए पर इसका कोई गहरा प्रभाव प्रत्या्शित नहीं है।

एनएफएसए में, टीपीडीएस के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त् मूल्योंस पर खाद्यान्न प्राप्तभ करने के लिए अखिल भारतीय स्तंर पर 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कवरेज का राज्यत-वार प्रतिशत अनुबंध में दिया गया है। अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नोंर के राज्यत-वार अनुमानित आवंटन विवरण अधिनियम की अनुसूची-4 में है। टीपीडीएस और अन्यन कल्याा□णकारी स्कीामों के अंतर्गत खाद्यान्नों□ का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित राजसहायता प्राप्तर मूल्योंी पर किया जाता है और इस राजसहायता के वित्ती य बोझ का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वकयन से संबंधित वार्षिक खाद्य राजसहायता निहितार्थ वर्ष 2014-15 की लागतों पर लगभग 1,31,086 करोड़ रुपए अनुमानित है।

(ग): समय-समय पर विभिन्नड हितधारकों से बड़ी संख्याि में सुझाव/टिप्प5णियां प्राप्त् हुई थीं, जिनके परिणामस्वदरूप एनएफएसए के अंतर्गत सर्वव्याणपी कवरेज शामिल किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत कवरेज और हकदारी का निर्धारण खाद्यान्नों□ के उत्पा दन और खरीद के हाल के रुझान को ध्या न में रखकर किया जाता है।

(घ): भारतीय खाद्य निगम की पुनर्संरचना के संबंध में श्री शांता कुमार की अध्य क्षता में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च: स्तयरीय समिति (एचएलसी) ने अपनी रिपोर्ट में एनएफएसए से संबंधित मुद्दों पर कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में, उन राज्योंं में एनएफएसए के कार्यान्वरयन को स्थएगित करना, जिनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंपयूटरीकरण नहीं किया गया है, लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन जारी नहीं की गई है और पीडीएस में चोरी को रोकने के लिए सतर्कता समितियां गठित नहीं की गई हैं; एनएफएसए के अंतर्गत आबादी के कवरेज को वर्तमान में 67 % से घटाकर लगभग 40 % करना; प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए खाद्यान्नोंे की हकदारी 5 किलोग्राम प्रति व्य क्तिट से बढ़ाकर 7 किलोग्राम प्रति व्य क्तिम करना, प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए निर्गम मूल्यक को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जोड़ना आदि शामिल हैं। एनएफएसए के संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताि्व नहीं है। जहां तक पीडीएस में चोरी पर रोक लगाने के लिए अधिनियम को स्थधगित करने का संबंध है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के कार्यान्वधयन से पहले तैयारी संबंधी विभिन्नव उपाय पूरे करने के निर्देश जारी किए हैं, जिनमें टीपीडीएस प्रचालनों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूतटरीकरण को पूरा करना भी शामिल है।

*****

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 04.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2419 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्री□यखाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जनसंख्या9 के कवरेज का राज्यावार ब्यौकरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवरेज (%)	
		ग्रामीण	शहरी
1	आंध्र प्रदेश	60.96	41.14
2	अरुणाचल प्रदेश	66.31	51.55
3	असम	84.17	60.35
4	बिहार	85.12	74.53
5	छत्तीसगढ़	84.25	59.98
6	दिल्ली	37.69	43.59
7	गोवा	42.24	33.02
8	गुजरात	74.64	48.25
9	हरियाणा	54.61	41.05
10	हिमाचल प्रदेश	56.23	30.99
11	जम्मू और कश्मीर	63.55	47.10
12	झारखंड	86.48	60.20
13	कर्नाटक	76.04	49.36
14	केरल	52.63	39.50
15	मध्य प्रदेश	80.10	62.61
16	महाराष्ट्र	76.32	45.34
17	मणिपुर	88.56	85.75
18	मेघालय	77.79	50.87
19	मिजोरम	81.88	48.60
20	नागालैंड	79.83	61.98
21	उड़ीसा	82.17	55.77
22	पंजाब	54.79	44.83
23	राजस्थान	69.09	53.00
24	सिक्किम	75.74	40.36
25	तमिलनाडु	62.55	37.79
26	तेलंगाना	60.96	41.14
27	त्रिपुरा	74.75	49.54
28	उत्तर प्रदेश	79.56	64.43
29	उत्तराखंड	65.26	52.05
30	पश्चिम बंगाल	74.47	47.55
31	अं0 और नि0 द्वीपसमूह	24.94	1.70
32	चडीगढ़	38.54	47.26
33	दादर और नगर हवेली	84.19	51.54
34	दमन और दीव	26.66	56.47
35	लक्षद्वीप	35.30	33.56
36	पुद्दुचेरी	59.68	46.94
	भारत	75.00	50.00

***